

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Writ Restoration Application No. 173/2025

Udai Kumar Jain S/o Shri Indermal Jain, Aged About 70 Years,
Resident Of 18-A, Tilak Colony, Sector-3, Hiran Magri, Udaipur.

-----Petitioner

Versus

1. Rajmandir Electronics, Through Proprietor Shri Ramesh Chandra Shah S/o Shri Bhogilal Shah, Aged About 59 Years, Resident Of 6/5, Rhb Colony, Govardhan Vilas, Sector-14, Udaipur.
2. Bela Agarwal D/o Shri Dwarka Prasad Agarwal, Resident Of Ward No. 13, Near Stadium, Fatehnagar, Udaipur.
3. The Chief Manager And Authorized Officer, Bank Of Baroda, Branch- Manager Yard, Udaipur.

-----Respondents

For Petitioner(s) : Ms. Deepika Soni

For Respondent(s) :

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

05/05/2026

यह प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10.02.2025 एवं उसके अनुसरण में रिट याचिका को निरस्त किए जाने सम्बन्धी आदेश दिनांक 04.04.2025 को अपास्त किए जाने एवं एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या **7732/2024 उदय कुमार जैन-बनाम-राजमंदिर इलेक्ट्रॉनिक्स** को पुनः नंबर पर लिए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

रिट याचिका को पुनः नंबर पर लेने के प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता याची/प्रार्थी ने प्रकट किया कि न्यायालय द्वारा दिनांक 10.02.2025 को अयाचीगण की तामील हेतु दो सप्ताह में आदेशिका शुल्क, नोटिस पेश नहीं करने पर रिट याचिका स्वतः निरस्त समझे जाने का आदेश दिया गया था, जिसके अनुसरण में पंजीयक (न्यायिक) द्वारा दिनांक 04.04.2025 को उनकी रिट याचिका निरस्त कर दी।

उन्होंने प्रकट किया कि न्यायालय आदेश के दिन वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे इस कारण समय पर पीएफ नोटिस पेश नहीं कर सके और आदेश के अनुसरण में उनकी रिट याचिका निरस्त कर दी गई। उनका कहना है कि अब वे दो सप्ताह में पीएफ नोटिस पेश कर देंगे।, ऐसी स्थिति में उनका प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर रिट याचिका को पुनः नंबर पर लिया जावे।

तर्कों पर विचार किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण पक्षकारों के महत्वपूर्ण अधिकारों से सम्बन्धित है, विद्वान अधिवक्ता याची द्वारा आदेशिका शुल्क एवं नोटिस नहीं करने के बताए गए कारण, तथा दो सप्ताह में आदेशिका शुल्क नोटिस पेश करने सम्बन्धी आश्वासन आदि के तथ्यों को देखते हुए विद्वान अधिवक्ता याची के तर्कों के प्रकाश में न्यायहित में उनका यह प्रार्थना-पत्र **तीन हजार रुपये हर्जे** पर स्वीकार किया जाता है तथा एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 7732/2024 को पुनः उसके मूल नंबर पर संस्थित किए जाने का आदेश दिया जाता है।

हर्जे की राशि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर में जमा करवाए जाने का आदेश दिया जाता है।

विद्वान अधिवक्ता याची को, अयाचीगण जो तामील से शेष रहे हैं, की तलबी हेतु दो सप्ताह में आवश्यक आदेशिका शुल्क एवं नोटिस मय अतिरिक्त प्रति पेश करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार प्रार्थना-पत्र निस्तारित किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J